

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

रामजीलाल बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मु0नं0 154 सन 2025 जीसीएमएस नं. 2025/254

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-04-2025	<p>रिपोर्ट सरिरता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री सुशील कुमार अग्रवाल उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 08.05.2025 को पेश हो।</p> <p>राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)</p> <p>8/5/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित P.O. सादर तलबी कार्य में प्रस्तावित पत्रावली 23/5/25 को पेश की</p> <p>20/5/25 वकील प्रार्थी उप0। अध्यायी वकील लामुठ वकील इह0। ए0प0लम मन्विले अमल में लामुपनी की खाते एह0 पत्रावली दिनांक 23/5/25 को पेश की</p> <p>23/05/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 09.05.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 09.05.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 09.05.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-</p>	



आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम गोडावास
पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना अवस्थित
ख.नं. 1088/935, 1091/935, 1097/937 कुल किता
03 कुल रकबा 1.67 है० में प्रार्थी तथा पड़ौसी
खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि
सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 09.05.2024
पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट
1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन
करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण
करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने
अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।
तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर
जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय
आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय
मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,

नीमकाथाना